



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

आयोग भवन, हरिद्वार-249404

संख्या : 66/60/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-1/2016-17

दिनांक 11 जुलाई, 2019

साक्षात्कार प्राप्तांक सूची

उत्तराखण्ड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर चयन हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/S-1/2018 दिनांक 04 सितम्बर, 2018 में विज्ञापित प्रवक्ता-इतिहास (महिला शाखा) के रिक्त कुल 11 पदों के सापेक्ष आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम दिनांक 17 मई, 2019 में 34 अभ्यर्थियों को मा0 आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया गया। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित उक्त अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की दिनांक 02 जुलाई, 2019 को आयोजित साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत् है :-

प्रवक्ता-इतिहास (महिला शाखा)

S.N.	Roll No.	Name of Candidate	CAT/SUBCAT.	Marks obtained
1	894548	RITU FULORIA	GEN/UF	75
2	894061	REENA BHAKUNI	GEN/UF	74
3	893394	USHA	GEN/UF	74
4	892145	BHARTI BHATT	GEN/UF	73
5	892748	ASHA BISHT	GEN/UF	72
6	894469	DEEPA	GEN/UF	72
7	895882	SWATI SUNDRIYAL	GEN/UF	71
8	892771	GEETA JOSHI	GEN	71
9	895257	SHAILJA PANDEY	GEN/UF	71
10	890517	LATA TIWARI	GEN/UF	70
11	893701	GEETA JOSHI	OBC/UF	70
12	893765	DEEPA CHUPHAL	GEN/UF	70
13	890091	MANJU MAHARA	GEN/UF	70
14	894561	LATA	GEN/UF	69
15	893944	KM DEEPA LOHANI	GEN/UF	69
16	892443	BHAWANA DHAPOLA	GEN/UF	68
17	894295	KHILA KORANGA	OBC/UF	68
18	894882	KM POOJA	OBC/UF	67
19	891047	NEEMA MEHTA	GEN/UF	67
20	891076	KAMLA GIRI	OBC/UF	66
21	894976	PARUL SAINI	OBC/UF	66

22	892680	RUKMANEE	OBC/UF	66
23	892824	RABIYA BEGAM	OBC/UF	65
24	890822	SUNITA	SC/UF	65
25	890975	KM RAJESHWARI GWASIKOTI	SC/UF	65
26	895162	TANUJA TEWARI	GEN/UF	64
27	894827	INDU	GEN/UF	64
28	890781	DOLLY ARYA	SC/UF	62
29	892836	SUNITA BHARTI	SC/UF	61
30	894315	PARWATI	SC/UF	56
31	894356	KANCHAN	ST/UF	56

नोट :- 1. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के अंक बराबर होने पर सेवा नियमावली में दिए गए प्राविधान के आलोक में "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 (यथा संशोधित- चतुर्थ संशोधन-2016 तक) के प्रतिस्थापित नियम संख्या 6.6(C) के अनुसार अभ्यर्थियों को योग्यता/प्रवीणता क्रम में रखा गया है अर्थात् क्रमशः प्रथम अधिमानी अर्हताओं, द्वितीय ज्येष्ठ आयु तथा तृतीय नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, को ध्यान में रखा जाता है।

(राजेन्द्र कुमार)
सचिव